

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(आय-कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 17 अगस्त, 2015

का.आ. 2240(अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 6 के खंड (1) के स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2015 है ।
(2) ये भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 15 में, नियम 125 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"126. कतिपय मामलों में भारत में रूकने की अवधि की संगणना—(1) धारा 6 के खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति की दशा में, जो भारत का नागरिक है और किसी पोत के कर्मी दल का सदस्य है, भारत में रूकने की अवधि या अवधियों में, किसी पात्र यात्रा के संबंध में, उपनियम (2) के अनुसरण में संगणित अवधि को, शामिल नहीं किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि, उक्त व्यक्ति द्वारा किसी पोत में शामिल होने के संबंध में सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट तारीख को आरंभ होने वाली पात्र यात्रा के लिए और उस व्यक्ति द्वारा ऐसी यात्रा के संबंध में, पोत से हट जाने के संबंध में सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियमों के प्रयोजनों के लिए,--

- (क) "सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन बनाए गए वाणिज्य पोत परिवहन (सतत छुट्टी प्रमाण-पत्र-सह-नाविक पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 में है ;
- (ख) "पात्र यात्रा" से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों के वहन या माल के वहन में लगे हुए पोत द्वारा की गई यात्रा अभिप्रेत है, जहां—
- (i) भारत के किसी पत्तन से आरंभ हुई यात्रा का भारत से बाहर कोई पत्तन गंतव्य स्थान है ; और
- (ii) भारत से बाहर किसी पत्तन से प्रारंभ हुई यात्रा का भारत में कोई पत्तन गंतव्य स्थान है ।"

(अधिसूचना सं.— 70/2015/फा.सं. 142/12/2015-टीपीएल)

(अमित कटोच)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2155(अ) तारीख 7 अगस्त, 2015 द्वारा किया गया था ।